धारावाहिक संख्या - 38

"...कोई सुन ना ले"

स्क्रिप्ट - श्रीनिवास ओली

अवधारणा और समन्वय - डॉ. बी.के. त्यागी

सूत्रधार *: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित रेडियो धारावाहिक की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। श्रोताओं, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एआई से हमें जितनी सहूलियत मिली है, हमारी निजता भी उतने ही खतरे में पड़ती जा रही है। यूं तो निजता के अधिकार को लेकर कानून मौजूद हैं, लेकिन जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस रफ्तार से कानूनों में बदलाव नहीं हुआ। इसी का फायदा उठाकर कई बार कंपनियां उपभोक्ताओं के निजी डेटा का इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए करती हैं, वो भी लोगों को अंधेरे में रखकर। आज के अंक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एआई एक ऐसी जादुई आंख बनकर उभरी है जो जब चाहे हमारी निजी जिंदगी में ताकझांक कर सकती है। और हमें इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।*

पात्र परिचय-

विजय- (पुलिस इंस्पेक्टर / 55 वर्ष)

सुहानी - (विजय की पत्नी / गृहणी / 50 वर्ष)

कोमल- (विजय की बेटी / इंजीनियरिंग की छात्रा / 22 वर्ष)

पंकज - (एआई कंपनी का नुमाइंदा / 35 वर्ष)

आरजू- (विजय की वकील / 35 वर्ष)

मोहित - (एआई कंपनी का वकील / 40 वर्ष)

जस्टिस निखिल- (जज / 55 वर्ष)

---------- Opening Music / Scene One----------

(रविवार की सुबह का वक्त है। विजय अपने परिवार के साथ घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहे हैं। रेडियो पर पुराना फ़िल्मी गाना बज रहा है... ।)

कोमल: पापाजी, आप भी बस... कितनी ऊंची आवाज़ में गाने सुनते हैं। कुछ वॉल्यूम कम कीजिए ना। मुझे तो सुबह-सुबह चिड़ियों की आवाज़ से बेहतर कुछ भी नहीं लगता है।

(धीमी होती गाने की आवाज़ / चिड़ियों की चहचहाहट)

विजय: कोमल, पुलिस की नौकरी में फुर्सत का वक्त तो कभी-कभार ही मिल पाता है। वैसे चिड़ियों की चहचहाहट में भी अच्छी ही लगती है। ... सुबह का वक्त और... ताज़ी हवाओं का झौंका... गांव में बिताए बचपन की याद दिला जाता है।

(बीच-बीच में कप-प्लेट रखने / उठाने / चम्मच से चीनी घोलने की आवाज़ें)

सुहानी: इन बातों को छोड़िए भी आप...। गांव से इन शहरों में आए हुए आपको तीस साल से ज्यादा हो गए। जिंदगी गुजरेगी शहरों में, और याद करेंगे गांवों को। ***(हल्की हंसी के साथ)*** ये लीजिए, फिलहाल गांवों से आए दूध से बनी चाय लीजिए।

कोमल: बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने।***(कोमल का फोन बजता है)*** पंकज का फोन है। ***(फोन उठाती है)*** नमस्ते पंकज जी..। जी हां... हम लोग घर पर ही हैं...। अच्छा, रास्ते में हैं ? ठीक है। आप आइये... आइये..। जी जरूर...।

सुहानी: ये पंकज जी कौन हैं कोमल?

कोमल: वही पकंज... मम्मी, मैंने आपको कल बताया था ना। हमारे घर में जिस कंपनी का इंटरनेट लगा है, उसमें ही काम करते हैं। बता रहे थे कि कंपनी की ओर से हमें कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। आज वो हमारा गिफ्ट पहुंचाने के लिए आ रहे हैं।

सुहानी: गिफ्ट... हमें क्यों ? कहीं तुमने फिर से कोई नई मशीन तो नहीं खरीद ली ?

कोमल: मम्मी, खरीदी नहीं है... गिफ्ट है। हम उनके इतने पुराने ग्राहक जो हैं... और कंपनी अपने कुछ पुराने उपभोक्ताओं को गिफ्ट दे रही है।

विजय: ठीक है, हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। वैसे... क्या मिल रहा है गिफ्ट में ? तुम्हें मालूम है क्या ?

कोमल: पापाजी, पंकज की कंपनी इंटरनेट सर्विस के साथ-साथ और भी कई सारे बिजनेस में है। वो आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस वाले डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस भी बनाती है। उन्होंने फोन पर बताया था कि वो हमें गिफ्ट में एक ऐसी ही डिवाइस देने वाले हैं।

सुहानी: डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस ! मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या बला है।

कोमल: परेशान मत होइये मम्मी। ***(हल्की हंसी के साथ)*** बस यूं समझ लो कि आज हमारे परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। पकंज जी से मैंने कहा था कि सुबह-सुबह जितना जल्दी हो सके, आ जाना।

विजय: मुझे तो ऐसी चीजें गैरजरूरी ही लगती हैं।इन कंपनियों का क्या है? वो तो हमें कुछ भी दे देंगी, अपने फायदे के लिए।

सुहानी: ***(नाराजगी भरा स्वर)*** आपने ही छूट दी है अपनी प्यारी बेटी को। पूरे घर को लैब बनाकर रख दिया है। दीवार पर सजा ये स्मार्ट टीवी, हुक्म का गुलाम ये अनूठा फ्रिज, खुद-ब-खुद जलने-बुझने वाली लाइट्स...।मैं तो तंग आ गई हूं इन अजीबो-गरीब चीजों से। अरे, जब तक हाथ-पैर सही सलामत हैं, कुछ काम खुद भी कर लिया करो।

कोमल: नाराज क्यों हो रही हैं मम्मी। क्या पता, आज मिलने वाला गिफ्ट आपको भी पसंद आ जाए। **(डोरबेल बजने की आवाज़)** मैं देखती हूं...लगता है पंकज जी आ गए हैं। **(पदचाप / दरवाजा खोलने की आवाज़)** आइये - आइये पंकज जी... हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं।

पंकज: नमस्ते... कोमल जी। मुझे पहुंचने में देर तो नहीं हुई ना...।

कोमल: नहीं.. नहीं... । बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप...। बैठिए...।

पंकज: जी शुक्रिया...। ***(पैकेट खोलने की आवाज़)*** और ये रहा आपका गिफ्ट।

कोमल: अरे वाह कितना सुंदर है ये। छोटी सी बॉल की तरह...कलर भी एकदम सही है। मुझे भी गुलाबी रंग ही पसंद है।

सुहानी: अरे, ये तो कोई खिलौना सा लग रहा है। कोमल, तुमने तो सुबह से ही बड़ा हल्ला मचाया था.. गिफ्ट को लेकर। हूं.... । खोदा पहाड़, निकली चुहिया।

पंकज: आंटी जी, ये चूहा नहीं बल्कि शेर है शेर। इसकी खासियत जानेंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगी।

विजय: अच्छा ! तो क्या - क्या कर लेता है ये चूहा... मेरा मतलब है ये शेर।

(सभी हंसते हैं)

पंकज: बताता हूं सर... बताता हूं। ऊपर की ओर आप ये छोटी सी आंखें देख रहे हैं, इनमें एलईडी लगी हैं जो इसके ऑन होने पर जल उठेंगी। मैं इसमें बैटरी लगा कर ऑन कर देता हूं। ***(एक लंबी बीप सुनाई देती है)*** बस... और ये आपकी मदद के लिए हो गया है तैयार। अब सबसे पहले आपको इसे कोई नाम देना होगा, ताकि ये अपना नाम सुनकर आपकी मदद कर सके। मैं इसका माइक्रोफोन ऑन कर देता हूं। आप लोग इसका कोई नाम बोलिये।

सुहानी: हमें ये मुफ्त में ही मिला है... तो हम इसका नाम रख लेते हैं "फोकट"।

विजय और कोमल: हां ये अच्छा नाम रहेगा.... फोकट। ***(कुछ ज़ोर से दोहराते हैं...)*** फोकट।

पंकज: ***(कुछ स्विच दबाने की बीप-बीप की आवाज़)*** ठीक है...। अब इस डिवाइस में इसका नाम भी फीड हो गया है और ये आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस की बदौलत ना सिर्फ आप सभी की आवाज़ को अलग-अलग पहचान सकेगा बल्कि आपकी मदद भी करेगा।

(विजय के फोन की घंटी बजती है)

विजय: हेलो... गुड मॉर्निंग सर... जी सर.... ठीक है सर... बस तुरंत पहुंचता हूं सर। ***(फोन रखता है)*** कोमल, मुझे अभी तुरंत ही ऑफिस जाना होगा। बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं तैयार होकर निकलता हूं... तब तक आप लोग फोकट को अच्छी तरह से समझ लो।

सुहानी: ***(कुछ ऊंची आवाज़ में)*** दोपहर के खाने तक तो आ जाएंगे ना ?

विजय: ***(दूर होती हुई आवाज़)*** हां, कोशिश करूंगा कि लंच तक पहुंच जाऊं... बाय...। (**पदचाप / दरवाजा खोलने-बंद करने की आवाज़)**

सुहानी: ***(पंकज से)*** पंकज जी, आप बता रहे थे कि ये हमारी मदद भी करेगा...। कैसी मदद की बात कर रहे थे आप ?

पंकज: मसलन... आपके कहने पर ये टीवी का चैनल बदल सकता है। जरूरत पड़ी तो किसी को फोन लगा देगा। आपके एक हुक्म पर आपके पसंदीदा गाने भी चला देगा।

सुहानी: अच्छा ... !

पंकज: जी हां, इसके साथ ही आप इससे दुनिया-जहान की बातें भी पूछ सकते हैं। आपके घर के इंटरनेट की मदद से ये खुद ही खोजकर आपको सारे सवालों के जवाब भी देगा। आप इसे अपना वर्चुवल दोस्त समझिए। ये ना सिर्फ आपकी बात को समझेगा बल्किजरूरत पड़ने पर आपको सही सलाह भी देगा।

कोमल: मम्मी,मैं आपको अभी इसे चलाकर अच्छी तरह से समझा दूंगी।

पंकज: ***(पैकेट में से कुछ कागज निकालता है)*** कोमल जी, ये डिवाइस का मैनुअल है। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई दिक्कत हुई तो आप फोन भी कर सकते हैं। अब मैं भी चलता हूं। नमस्ते....।

कोमल: ठीक है पंकज जी... थैंक्यू... । **(पंकज चला जाता है / पदचाप / दरवाजा खोलने-बंद करने की आवाज़)**

सुहानी: **(उत्साहित स्वर में)** अच्छा है, अब दिन में खाली समय मिलने पर मैं बोर नहीं होऊंगी...। फोकट से बातें कर लिया करूंगी।

कोमल: मम्मी, वो तो ठीक है लेकिन जरा ध्यान रखना। ये डिवाइस... यानी फोकट सारी बातें रिकॉर्ड भी करता जाता है। ये जितनी ज्यादा बातें सुनेगा, उतनी ही सटीकता से जवाब भी देगा।

सुहानी: **(हैरत से)** अच्छा !

कोमल: हां मम्मी..। इस डिवाइस की मैमोरी में हमारे बोलने का अंदाज, हमारी पसंद-नापसंद सबकुछ दर्ज होता चला जाता है। और आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस की बदौलत ये अपने डेटा को प्रोसेस करके दिए हुए टास्क को पूरा करता है। बस ये समझ लीजिए कि अगर फोकट का स्विच ऑन है तो ये सबकुछ देख भी रहा है और सुन भी रहा है।

सुहानी: ***(हल्की हंसी के साथ)*** ये तो मुझे कोई जासूस लगने लगा है। फिलहाल तो इसे ऑफ ही कर दो। मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है।

कोमल: ठीक है मम्मी...। ***(कुछ उदास स्वर में)*** पता नहीं पिताजी को अचानक कौन सी मीटिंग में जाना पड़ गया। रविवार के दिन भी उनको फुर्सत नहीं मिलती।

----------Scene Transition Music / Scene Two----------

(पुलिस हेडक्वाटर / अधिकारियों की मीटिंग में इंस्पेक्टर विजय भी मौजूद हैं)

डीआईजी साहब: देखिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी से जुटे रहना है। आज की इस मीटिंग में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, सभी अफसर अपने मातहतों से भी साझा करेंगे ताकि सभी एक बेहतर टीम की तरह काम कर सकें। किसी का कोई सवाल ?

सामूहिक स्वर: नो सर...।

डीआईजी साहब: ठीक है। तो आज की ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। और... इंस्पेक्टर विजय आप अभी रुकिये...। बाकी सभी लोग जा सकते हैं।

सामूहिक स्वर: ओके सर...।

(मीटिंग हॉल से लोग निकलते जाते हैं / बातचीत-चलने का शोर धीमा पड़ता हुआ / सिर्फ डीआईजी और इंस्पेक्टर विजय अंदर बने रहते हैं)

डीआईजी साहब: **(कुछ धीमे लेकिन गंभीर स्वर में)** देखिए, इंस्पेक्टर विजय। ऑपेशन लेपर्ड में आपको हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उस माफिया को हमने रंगेहाथ पकड़ना है। बस ध्यान रहे कि इस ऑपरेशन की किसी को कानोंकान खबर ना मिले। इसकी जानकारी सिर्फ मुझे, आपको और आपकी टीम के बाकी तीन सदस्यों को ही है। ऑपरेशन के कामयाब हो जाने तक आप किसी से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे, अपने परिवार में भी नहीं।

विजय: जी सर, आप बेफिक्र रहिए। इस बार अपराधी हमारे शिकंजे से नहीं बच सकेगा। हमारी पूरी तैयारी है।

डीआईजी साहब: ठीक है। ये बात अपने जेहन में रखिएगा कि इस ऑपरेशन का कामयाबी और नाकामी हम सबकी काबिलियत का इम्तिहान भी है। आप तैयारी कीजिए.. ऑल द बेस्ट।

विजय: थैंक्यू सर...।

----------Scene Transition Music / Scene Three----------

(अदालत का दृश्य / इंस्पेक्टर विजय पर अपराधी की मदद का आरोप है / कोर्ट में विजय की वकील और एआई कंपनी के वकील मौजूद हैं / इंस्पेक्टर विजय की बेटी कोमल भी कोर्ट में ही हैं / कोर्ट रूम का शोर सुनाई देता है)

जस्टिस निखिल: ऑर्डर - ऑर्डर... ***(हथौड़े की ठक-ठक / शोर धीमा पड़कर खत्म हो जाता है)*** अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए।

आरजू: इंस्पेक्टर विजय, आपका कहना है कि ऑपरेशन लेपर्ड के बारे में आपने किसी को भी खुफिया जानकारी लीक नहीं की और आपको बेवजह ही सस्पेंड किया गया है। आप ये भी कह रहे हैं कि उस शातिर बदमाश के फरार होने में आपका कोई हाथ नहीं है।

विजय: जी बिल्कुल। मैंने इस बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया। अपनी टीम के अलावा इस ऑपरेशन के बारे में मैंने किसी से बात भी नहीं की थी।

आरजू: योर-ऑनर , इंस्पेक्टर विजय की बातों को साबित करने के लिए मैं अदालत में एक गवाह... कोमल को पेश करने की इजाजत चाहती हूं।

जस्टिस निखिल: इजाजत है।

(कोमल गवाह के कठघरे में आती है / पदचाप)

आरजू: अपने पिता की बेगुनाही को लेकर आपका क्या कहना है कोमल जी।

कोमल: जी, मेरे पिताजी इंस्पेक्टर विजय पर लगाया गया आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। दरअसल जिस दिन पिताजी को आपरेशन लेपर्ड के तहत माफिया को पकड़ने की जिम्मेदारी मिली थी, उसी दिन हमारे घर में डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस आई थी। और....

मोहित: ऑब्जेक्शन योर-ऑनर...। ये गवाह, केस को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही हैं...।

जस्टिस निखिल: गवाह को अपनी बात पूरी करने दीजिए एडवोकेट मोहित। एआई कंपनी की ओर से अपनी बात रखने का आपको भी पूरी मौका मिलेगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए कोमल जी।

कोमल: जी, हमें डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस के डेटा से ये बात पता चला कि वो घर के अंदर होने वाली बातचीत को तब भी रिकॉर्ड कर रही थी जब उसे कमांड नहीं दिए जा रहे थे। उस दिन जब पिताजी पुलिस हेडक्वाटर में मीटिंग से लौटे तो उनके कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय इस डिवाइस के।

मोहित: ऑब्जेक्शन योर-ऑनर...। ये गवाह, हमारी कंपनी की डिवाइस को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ***(व्यंग्यात्मक लहजे में)*** कोमल जी आप ये कह रही हैं कि हमारी कंपनी लोगों के घरों में जासूसी का काम करती है।

(कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के हंसने की आवाज़)

जस्टिस निखिल: ऑर्डर.. ऑर्डर... गवाह को अपनी बात पूरी करने दीजिए एडवोकेट मोहित। आप बात पूरी कीजिए कोमल जी।

कोमल: जी, जब पिताजी माफिया की गिरफ्तारी वाले ऑपरेशन के बारे में अपनी टीम से फोन पर बात कर रहे थे तो सारी बातें इस डिवाइस में रिकॉर्ड होती चली गईं। ये बात कंपनी के सर्वर से लीक हुईं और उस खतरनाक माफिया तक पहुंचा दी गईं। पुलिस ऑपरेशन की भनक लगने पर वो माफिया फरार हो चुका था। और इसका दोष मेरे पिता बेगुनाह इंस्पेक्टर विजय के सिर पर मढ़ दिया गया।

आरजू: योर-ऑनर मैं एआई कंपनी के वकील से पूछना चाहती हूं कि क्या वो अपने ग्राहकों की निजी बातचीत को रिकॉर्ड नहीं करते हैं ? जवाब दीजिए एडवोकेट मोहित।

मोहित: ***(असमंजस में)*** हूं... दरअसल... हम.... ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते जिससे....

आरजू: मैं अदालत के सामने कुछ दस्तावेज पेश करने की इजाजत चाहती हूं। **(कागज के पन्ने फड़फड़ाने की आवाज़)** ये देखिए योर-ऑनर। कंपनी ने खुद स्वीकार किया है कि इनकी रिसर्च टीम कंज्यूमर को बेहतर अनुभव देने के नाम पर लगातार लोगों की रिकॉर्डिंग सुनती है।

मोहित: जी, ऐसा तो इसलिए किया जाता है कि हम ये जान सकें कि उनकी डिवाइस ने किस तरह के कमांड पर कैसी प्रतिक्रिया दी है। वैसे भी, जब कोई ग्राहक हमारी डिवाइस का इस्तेमाल करता है तो वो हमारी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को भी स्वीकार करता है। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि शोध के मकसद से उनके ऑडियो, वीडियो, फोटो, फोनकॉल, डेटा स्टोरेज वगैरह का डेटा कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। एडवोकेट आरजू, ये सब तो आपके मुवक्किल को भी मालूम ही होगा ?

आरजू: बिल्कुल, लेकिन आपकी सर्विस लेने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे डेटा का मनचाहा इस्तेमाल करें। ***(तेज़ और आक्रामक लहजे में)*** और यूं भी इस मामले में इंस्पेक्टर विजय की बातचीत का डेटा आपकी कंपनी के सर्वर से लीक हुआ है, लिहाजा मुकदमा आप पर चलाया जाना चाहिए ना कि इंस्पेक्टर विजय पर। ऑपरेशन लेपर्ड के दौरान माफिया के फरार होने की पूरी जिम्मेदारी आपकी कंपनी की है।

मोहित: एडवोकेट आरजू की ये दलील सही है कि ग्राहकों के बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस ऑपरेशन वाले दिन ही हमारे सर्वर पर हैकर्स का हमला हुआ था और उसी दौरान ये जानकारी भी लीक हुई होगी।

आरजू: तो फिर इसके गुनाहगार इंस्पेक्टर विजय पर कैसे हो गए ? उनको नौकरी से सस्पेंड क्यों किया गया ? और यूं भी जिस प्राइवेसी पॉलीसी डॉक्यूमेंट्स की बात आप कर रहे हैं वो इतनी जटिल भाषा में होती है और आम आदमी के लिए उसे समझ पाना भी मुश्किल होता है। और अगर समझ भी ले तो एक उपभोक्ता के तौर पर उस पर सहमति देने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं रहता।

कोमल: कोर्ट से मेरी भी गुजारिश है कि किसी भी सर्विस के इस्तेमाल के एवज में लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त लगाम लगनी चाहिए।

(कोर्ट में बैठे लोगों की फुसफुसाहट शोर में बदलती हुई)

जस्टिस निखिल: ऑर्डर - ऑर्डर ***(कोर्ट में खामोशी छा जाती है)...।*** एडवोकेट आरजू, सबसे पहले तो आप ये साफ कीजिए की जिस शब्द "डेटा" इस्तेमाल बार-बार हो रहा है, उसका मतलब क्या है ?

आरजू: योर-ऑनर...। सरल तरीके से कहें तो आम तौर से फोन या इंटरनेट के जरिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट, कोई मैसेज, ऑनलाइन खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट का तरीका, सर्च हिस्ट्री ये सबकुछ भी डेटा ही है। मतलब, किसी शख्स की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी जानकारियों का एक ऐसा समूह जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके और प्रोसेस कर सके। इसमें कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, ऑडियो-वीडियो क्लिप भी हो सकती है और कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी।

जस्टिस निखिल: ठीक है...। आपको इसमें कुछ और कहना है ?

आरजू: योर-ऑनर, इंस्पेक्टर विजय की वकील की हैसियत से मैं अदालत के सामने ये बात भी रखना चाहती हूं कि किसी भी शख्स के बारे में जुटाई गई जानकारियों

से उसकी एक वर्चुअल पहचान तैयार हो जाती है। एक ऐसा व्यक्तित्व... जो वास्तविक भले ही ना हो लेकिन इंटरनेट की आभासी दुनिया में हकीकत सा लगने लगता। और इस वर्चुवल छवि का इस्तेमाल उस शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। ***(कुछ तेज़ और आक्रामक अंदाज में)*** यूं भी, भारत जैसे विशाल देश में डेटा एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन उस डेटा को इस्तेमाल करने की इजाजत किसे है ? कहीं कोई उसका बेवजह और गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा ?

मोहित: लेकिन एडवोकेट आरजू को ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के मामले में अगर देखें तो डेटा की बदौलत ही कोई मशीन ज्यादा बेहतर सीख सकती है। जितना ज्यादा डेटा होगा, उतने ही ज्यादा लर्निंग स्टेप्स होंगे और मशीन भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगी।

आरजू: योर-ऑनर इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त अक्सर हमें उन चीजों के विज्ञापन नजर आने लगते हैं जिनको खरीदने का हमने इरादा बनाया है या फिर हमारे दोस्त या परिजन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से इन कंपनियां एआई की ताकत का इस्तेमाल हमारे निजी सोच, पसंद नापसंद और हमारी ख्वाहिशों को जानने में धड़ल्ले से कर रही हैं। निजी जानकारियों का यह भंडार... इन कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है।

जस्टिस निखिल: तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, अगर कोई कंपनी अपने उपभोक्ताओं का ज्यादा से ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस देने के लिए उनका डेटा उनकी ही सहमति से रिकॉर्ड करती है तो ? इसमें बुराई क्या है, अगर हमें हमारी पसंद की चीजें आसानी से मिल जाएंगी ?

आरजू: योर-ऑनर, ठीक कहा आपने। चीजों की खरीदारी तक तो ये मामला उतना खतरनाक नहीं लगता। ***(कुछ तेज और आक्रामक स्वर में)*** लेकिन कंपनियां आपकी रुचियों और फैसलों को कुछ इस तरह से बदलने लगें कि वो किसी देश में किसकी सत्ता बनेगी। सरकार के किसी फैसले के खिलाफ या फिर उसके समर्थन में जनमत जुटाने की स्थिति बनने लगे तो फिर चीजें सहज नहीं रहतीं। लोगों को ये चुनने का अधिकार होना चाहिए कि हम किन-किन बातों को सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं और किन बातों को नहीं। लेकिन जब किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट पर पूरा एकाधिकार जम चुका हो तो ऐसे मामले में यह बात बेमानी हो जाती है।

जस्टिस निखिल: हां, आपकी बात बिल्कुल सही है एडवोकेट आरजू।

आरजू: योर-ऑनर, कई मशहूर सोशल वेबसाइट या चैटिंग एप के मामले में भी यही हो रहा है। आप अगर उनकी शर्तों को नहीं मानते हैं तो फिर आप एक बड़ी सुविधा से वंचित रह जाते हैं। अगर सुविधा लेना चाहते हैं तो उन्हें आप ये सब अनुमति देते हैं कि वो आपके फोन कॉन्टेक्ट, बातचीत, मेमोरी कार्ड, फोटो-वीडियो, इंटरनेट संबंधी व्यवहार... सब पर निगरानी रख सकें।

जस्टिस निखिल: हां, ये तो चिंता की बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस सबको लेकर कुछ किया ही नहीं गया है ?

आरजू: जरूर किया गया है योर-ऑनर। सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम- दो हजार (2000) के तहत निजी डेटा को गलत तरीके से जाहिर करना और उसका दुरुपयोग के मामले में मुआवजे के भुगतान और सजा का प्रावधान किया गया है।

कोमल: मैं भी इस बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहती हूं।

जस्टिस निखिल: हां... हां... बताइये आपका क्या कहना है ?

कोमल: डिजीटल कारोबार में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुलाई दो हजार सत्रह (2017) में न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में दस (10) सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई थी। वर्तमान की बात करें तो... हमारे देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक - दो हजार उन्नीस (2019) को मंजूरी दी जा चुकी है। अब ये उम्मीद की सकती है कि भारत में लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। मेरी समझ में तो नैतिक और तकनीकी तौर पर पुख्ता सिस्टम बनाकर ही इस मसले का सही समाधान किया जा सकता है।

आरजू: योर-ऑनर, मैं एक और अहम बात कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहती हूं।

मोहित: लेकिन इन सब बातों का इंस्पेक्टर विजय के केस से क्या ताल्लुक है....?

आरजू: ताल्लुक है योर-ऑनर... बहुत गहरा ताल्लुक है। दरअसल दुनिया भर में या फिर भारत में ही सही, कानून उतनी तेजी से नहीं बदल पाते जितना तेजी से तकनीक बदलती है। जल्द ही वो कानून पुराने पड़ जाते हैं और व्यावहारिक नहीं रहते। और इसी का फायदा उठाकर एआई के कारोबार से जुड़ी कई कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलती हैं। हालांकि, जवाबदेही तय करना बहुत बड़ी चुनौती भी है और जरूरत भी।

जस्टिस निखिल: एडवोकेट मोहित, आपको अपनी कंपनी की ओर से कुछ और कहना है?

मोहित: योर-ऑनर, हमारी कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने उपभोक्ताओं की प्राइवेसी की रक्षा करना है। और हम इसकी पूरी कोशिश भी करते हैं।

(कोर्ट रूम में बैठे लोगों की बातचीत का शोर / जज हथौड़ा पटकते हैं / ठक-ठक आवाज़)

जस्टिस निखिल: ऑर्डर - ऑर्डर....। (कोर्ट रूम में खामोशी छा जाती है) तमाम गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि पुलिस इंस्पेक्टर विजय पूरी तरह से बेगुनाह हैं और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं की।

(कोर्ट रूम में लोग तालियां बजाते हैं / खुसफुसाहट का स्वर)

जस्टिस निखिल: आर्डर - ऑर्डर ***(खामोशी छा जाती है)*** कोर्ट डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस बनाने वाली कंपनी को ये हिदायत देती है कि वो भविष्य में किसी भी तरह का डेटा रिकॉर्ड करने से पहले उपभोक्ता ये बताए कि उसका इस्तेमाल कब- कब और कहां किया जाएगा। साथ ही, निजी डेटा जिस खास मकसद के लिए जमा किया गया है उसका इस्तेमाल किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता । और सबसे जरूरी बात ये है कि डेटा कलेक्ट करने का मकसद पूरा हो जाने पर उस डेटा को पूरी तरह से मिटाना भी होगा।

(कोर्ट रूम में लोग तालियां बजाते हैं / खुसफुसाहट का स्वर)

जस्टिस निखिल: आर्डर - ऑर्डर **(खामोशी छा जाती है)** इस मामले में कंपनी ने इंस्पेक्टर विजय की ऑडियो रिकॉर्डिंग को धोखे से अपने सर्वर में भेजा और वहीं से ये जानकारी लीक हुई। इसका फायदा उठाकर शातिर माफिया पुलिस के चंगुल में

आने से बच निकला। लिहाजा अदालत इंस्पेक्टर विजय को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़ी कंपनी को आदेश देती है कि वो इंसपेक्टर विजय को मुआवजे के तौर पर दस लाख रुपये अदा करेगी। कोर्ट इंस्पेक्टर विजय को फिर से नौकरी में सम्मान बहाली का भी आदेश देती है।

(कोर्ट रूम में लोग तालियां बजाते हैं / खुसफुसाहट का स्वर कुछ तेज हो जाता है / लोगों के कुर्सियां खिसकाने / चलने की आवाज़ / सभी लोग कोर्ट रूम से बाहर आ रहे हैं)

कोमल: बधाई हो पापाजी, आखिरकार अदालत से आपको न्याय मिल ही गया। एक ईमानदार अफसर की आपकी साख बरकरार रही।

विजय: धन्यवाद कोमल। ये सब तो तुम्हारी और एडवोकेट आरजू की मेहनत का नतीजा है। वैसे भी सच की हमेशा जीत ही होती है।

(तीनों लोग चलते - चलते अदालत परिसर से बाहर सड़क पर पहुंच जाते हैं / ट्रैफिक का शोर भी है)

आरजू: सर, आपका ये केस भविष्य के लिए भी एक नजीर रहेगा। शायद अब इंटरनेट और आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के कारोबार से जुड़ी कंपनियां भी आम आदमी के निजी डेटा का इतनी बेफिक्री से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।

(कार का दरवाजा खोलने की आवाज़)

कोमल: चलिए पिताजी, कार में बैठिए। घर में मम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। आरजू दीदी, आपका लंच भी आज हमारे घर पर ही है... याद है ना आपको...।

(कार का दरवाजा बंद होने / इंजन स्टार्ट होने की आवाज़)

आरजू: हां... हां.. याद है।

कोमल: पिताजी, जरा एफएम रेडियो भी ऑन कर दीजिए। कोर्ट में मिली जीत के बाद मेरा मन भी गाने सुनने का हो रहा है।

विजय: हां... हां... क्यों नहीं..। ***(एफ एम रेडियो को ऑन कर ट्यून करता है)***

(रेडियो पर गाना बज रहा है ... "धीरे-धीरे बोल, कोई सुन ना ले.... सुन ना ले कोई सुन ना ले...")

आरजू: **(हल्की हंसी के साथ)** ये लीजिए सर.... ये गाना भी इशारों-इशारों में आपसे कुछ कह रहा है। आगे से ध्यान रखिएगा।

(तीनों हंसते हैं / पार्श्व में बजता हुआ गाना और ट्रैफिक का शोर धीरे-धीरे मंद पड़ता जाता है)

----------Closing Music----------